न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी : श्री जगदीशसिंह आशिया ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 151/2024

प्रार्थीगण — बनाम — विप्राथीगण

प्रार्थीगण

1. किशनाराम पुत्र भोमाराम वयस्क
2. रुगनाथराम पुत्र भोमाराम वयस्क

जातियान कलबी निवासीयान भाटा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

बनाम

विप्राथीगण

1. खंगाराराम पुत्र पूनमाराम वयस्क
2. तुलसाराम पुत्र राजाराम वयस्क
3. दिनेश कुमार पुत्र जोगाराम वयस्क
4. बुधाराम पुत्र राजाराम वयस्क
5. भूराराम पुत्र जोगाराम वयस्क
6. मन्जु पुत्री जोगाराम वयस्क
7. मफरी पत्नि जोगाराम वयस्क
8. हेमाराम पुत्र रणछोडाराम वयस्क
9. हीरोदेवी पत्नि रणछोडाराम वयस्क

जातियान कलबी निवासीयान भाटा तहसील सिणधरी जिला बालोरता

10. छगनाराम पुत्र बगदाराम वयस्क
11. जबरसिंह पुत्र खंगारसिह वयस्क
12. जम्मूदेवी पत्नि खंगारसिंह वयस्क
13. जमना देवी पत्नि अदराराम वयस्क
14. तिलोकारामु पुत्र खंगारसिह वयस्क
15. लीलादेवी पुत्री खंगारसिह वयस्क
16. शंकरसिह पुत्र खंगारसिह वयस्क
17. शैतानसिंह पुत्र खंगारसिह वयस्क
18. सूजो पुत्री खंगारसिंह वयस्क
19. सांवलाराम पुत्र पुरखाराम वयस्क
20. सोरम पुत्री खंगारसिह वयस्क
21. हाकू पुत्री खंगारसिह वयस्क

जातियान पुरोहित निवासी ईटवाया तहसील सिवाणा जिला बालोतरा

22. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर हाल स्टेट बैंक ऑफ [illegible] जिला बालोतरा

29 [illegible]क दी.सै. बै.लि. शाखा [illegible]

30 तहसी[illegible] सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:19:17 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, आर.टी एक्ट 1955

उपस्थित—1. श्री पाबूराम बेनीवाल, वकील प्रार्थीगण की ओर से।

2. श्री शंकररारम पटेल ,वकील विप्रार्थी संख्या 1 की ओर से

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

3. श्री भंवरलाल सारण, वकील विप्रार्थी सं. 12,14,15,18 से 21

4. पैरोकार सरकार उप.। शेष विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक–28.03.2025

1.संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है। कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 740/1 रकबा 6.0675 हैक्टयर ग्राम भाटा पटवार मण्डल जूनामीठा खेड़ा तहसील सिणधरी में अवस्थित है। जिसमें प्रार्थीगण की रहवास ढाणी, टांका व मवेशियो के बाड़े इत्यादि बने हुए है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी स.1 से 09 की खसरा संख्या 741 रकबा 1.1892 हैक्टयर व विप्रार्थी सं. 10 से 21 के खसरा संख्या 740/2 रकबा 6.0675 हैक्टयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी स.1 से 21 की उक्त खसरो में से चल रहे कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। विप्रार्थी संख्या 01 से 21 बरसात के मौसम में उक्त रास्ते की भूमि पर काश्त कर इसे अवरूद्व कर देते है। जिससे प्रार्थीगण को सड़क तक आने जाने मे समस्या आती है। और बरसात के समय खेत जोत होने के कारण विप्रार्थी संख्या 01 से 21 कदीमी रास्ते से चलनें से रोक टोक भी की जाती रहती है। इस कारण प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थी ने ग्राम भाटा तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 741 व 740/2 भूमि में होकर गुजरते हुए रास्ते के रूप में प्रयुक्त हो रही भूमि का राजस्व रिकार्ड मे सरकारी खाते मे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड ए.डी.नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री शंकरराम पटेल व विप्रार्थी सं. 14,15, 18 से 21 की ओर से अधिवक्ता श्री भंवरलाल सारण द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। शेष विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामील होने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विवादित भूमि की मौका रिर्पोट दो बार तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:19:17 IST
Reason: SelfAttested

3.उभयपक्ष की बहस सुनी गई थी। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस की थी,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 740/1 रकबा 6.0675 हैक्टयर

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

ग्राम भाटा तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी स. 1 से 21 की खसरा संख्या 741 व 740/2 भूमि आई हुई है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी स.1 से 21 की उक्त खसरो में से चल रहे कदीमी प्रचलित रासते से होकर गुजरना पड़ता है। विप्रार्थीगण बरसात के मौसम में उक्त रास्ते की भूमि पर काश्त कर इसे अवरूद्ध कर देते है। जिससे प्रार्थी को सड़क तक आने जाने मे समस्या हो जाती है। और बरसात के समय खेत जोत होने के कारण विप्रार्थी संख्या 01 से 21 कदीमी रास्ते से चलनें से रोकटोक भी की जाती रहती है। इस कारण प्रार्थी को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी के लिए सुविधा जनक है,क्योकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है,तथा रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता है। आगे ओर कथन किया था,कि प्रस्तावित रास्ते की तहसीलदार सिणधरी द्वारा मौका रिर्पोर्ट में प्रार्थी को रास्ता दिए जाने की अनुशंषा की गई है। अतः तहसीलदार सिणधरी की रिर्पोर्ट के अनुसार प्रार्थी के पक्ष में रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त रास्ता राजकीय खाते मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे दर्ज किया जावे। प्रार्थीगण रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले विप्रार्थी स.1 से 21 को न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने से भी सहमत है।

4.इसके विपरीत वकील विप्राथी सं. 1 की बहस है कि प्रार्थी की ओर से गलत तथ्यों के आधार पर आवेदन पत्र पेश किया गया है,जो खारिज योग्य है। विप्रार्थी सं. 3 दिनेश कुमार, विप्रार्थी सं. 5 भूराराम पुत्रान जोगाराम व विप्रार्थी सं. 6 मंजू पुत्री जोगाराम नाबालिग है, विधि अनुसार नाबालिग के बिना विधिक संरक्षंक के उसके विरूद्व कोई भी आदेश/निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है। आगे ओर कथन किया था,कि 251 ए आर.टी.एक्ट के तहत रास्ता निकालनें के लिए जो तथ्य एवं तर्क निहित होने चाहिए। वो प्रार्थी के आवेदन पत्र में निहित नहीं है। इस कारण प्रार्थी का आवेदन खारिज योग्य है। विवादित भूमि की मौका रिर्पोर्ट भी एकतरफा बनाई गई है। मौका रिर्पोर्ट बनाते समय विप्रार्थी को कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही विप्रार्थी को सूचित किया गया है। प्रार्थीगण ने जिस भूमियों से रास्ता चाहा है वो दो खसरों व 21 से ज्यादा काश्तकारों की [illegible] भूमियां है तथा मुझ विप्रार्थी खंगाराराम के खसरा संख्या 740/1 में [illegible] की भूमि में आने–जाने हेतु कोई नजदीकी रास्ता नही है। जबकि प्रार्थीगण के [illegible] खसरा संख्या 740/1 में सबसे सुलभ व नजदीकी रास्ता खसरा [illegible] 1019 ग्राम [illegible]पुरा, भू.अभिलेख पादरू तहसील सिवाना के खातेदारान झूठसिंह व मांगसिंह के खेत में से है। जो सीधा ही पादरू, भाटा दहीवा मुख्य डामर सड़क से जुड़ता है, मगर उक्त कार्मिकों ने हम विप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:19:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

की बिना उपस्थित में भ्रामक व असत्य मौका रिपोर्ट मौके से विपरीत पेश की है।, जिससे पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाना न्यायहित में आवश्यक है।

5. विप्रार्थी सं. 12,14,15,18 से 21 की ओर से अपने जवाब के तथ्यों में कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा वर्णित सभी तथ्य सही एवं विधि सम्मत होने से स्वीकार है, कि प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम भाटा के खसरा संख्या 740/1 की आयी हुई है जो किसी सड़क मार्ग या वैकल्पिक रास्ते से जुड़ी हुई नही है जिससे प्रार्थीगण को विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 740/2, 741 ग्राम भाटा पटवार मण्डल जूना मीठा खेड़ा में से रास्ता दिये जाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया है जिस पर हम विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा संख्या 740/2 रकबा 6.0675 हैक्टेयर में से आवेदन पत्र में संलग्न परिशिष्ट "अ" में दर्शित स्थान पर बिना किसी प्रतिफल के बदले रास्ता देने हेतु पूर्णतः सहमत है। कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित स्थान के सिवाय अन्य कोई निकटतम रास्ते का विकल्प नहीं है तथा प्रार्थीगण का खेत रास्ते की सुविधा से जुड़ा हुआ नहीं होने से खातेदारी जोत तक आवागमन हेतु रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है और निकटतम विकल्प विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 740/2, 741 में से ही होने से प्रार्थीगण का आवेदन विधि सम्मत तथ्यो पर आधारित होने से स्वीकार योग्य कि गांव के मौजिज लोगो की समझाईश एवं लोकअदालत भावना एवं सुखासर के अधिन आम जन की सुविधा को मध्य नजर रखते हुरे विप्रार्थीगण संख्या 11 से 21 तथा प्रार्थीगण के मध्य आपसी राजीनामा हो गया है और राजीनामा के अनुसार विप्रार्थी संख्या 11 से 21 अपने खातेदारी खेत खसरा संख्या 740/2 के खसरा संख्या 741 की तरफ वाले सेढे से होकर बिना किसी प्रतिफल के बदले रास्ता देने की सहमति बनी, चूंकि हम विप्रार्थीगण का खेत खसरा संख्या 740/2 भी रास्ते से जुड़ा हुआ नहीं है विप्रार्थीगण संख्या 11 से 21 को स्वयं को खेत तक आवागमन का कोई वैकल्पिक, स्थाई रास्ता नहीं है तथा सड़क मार्ग से अपने खेत खसरा संख्या 740/2 में आवागमन हेतु भी खसरा संख्या 241 में से ही रास्ता पाना सबसे निकटतम विकल्प है इसलिए विप्रार्थीगण संख्या 11 से 21 को भी इसी प्रकरण से राहत प्राप्त होगी। विप्रार्थीगण संख्या 1 से 11 एक ही विषय वस्तु, समान पक्षकार, समान कानूनी राहत के लिये पृथक से आवेदन पेश करना, समय, श्रम, न्यायालय समय की बर्बादी होगी, लिहाजा प्रार्थीगण तथा विप्रार्थीगण संख्या 11 से 21 आत्यन्तिक आवश्यकता होने एवं निकटतम विकल्प खसरा संख्या 241 में से ही उपलब्ध होने से आवेदन पत्र स्वीकार योग्य है। अतः ऐसी स्थिति में जब विप्रार्थीगण संख्या 11 से 21 लोक अदालत एवं सुखाचार की भावना से प्रेरित होकर बिना प्रतिफल के रास्ता देने पर सहमत हो गये है तब खसरा संख्या 740/2 में प्रस्तावित रास्ता की दूरी में से घटाई जाने पर शेष दूरी मात्र खसरा संख्या 741 में ही गणना योग्य होने से सबसे निकटतम विकल्प

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:19:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
... गिरवा

खसरा संख्या 741 में से ही उपलब्ध है, लिहाजा प्रार्थीगण का यह आवेदन विधि सम्मत आधारों पर होने एवं एक ही रास्ते से प्रार्थीगण एवं खसरा संख्या 740/2 के खातेदार विप्रार्थीगण संख्या 11 से 21 का जुड़ाव होने से प्रार्थीगण के पक्ष रास्ता दिलवाये के सम्बन्ध में हमे कोई ऐतराज नहीं है लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार कर माफिक प्रस्तावित नक्शा के अनुसार रास्ता दिलाया जाने की कृपा करावे।

6.हमनें दोनो पक्षो के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकार्ड एवं मौका रिर्पोट का अवलोकन किया और विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थीगण की ओर से अपनी खातेदारी खेत मौजा भाटा तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 740/1 से होकर मुख्य सड़क तक पंहुचने के लिए बीच खेत खसरा संख्या 741 व 740/2 में से होकर चल रहे रास्ता को स्वीकृत करनें हेतु आवेदन पेश किया गया। जिसमें तहसीलदार सिणधरी से मौका स्थिति की रिर्पोट न्यायालय के आदेश दिनांक 11.09.2024 के द्वारा तलब की गई। तहसीलदार सिणधरी द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना में मौका जांच कर रिर्पोट पत्र कमांक 2865/29.10.2024 के द्वारा पेश की गई। जिसमें स्पष्ट अंकन किया कि मौजा भाटा की खसरा संख्या 740/1 में पहुचनें के लिए खसरा संख्या 741 व 740/2 में से होकर गुजरना पड़ता है,और इसके अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। इससे स्पष्ट होता है,कि प्रार्थी को अपने खेत से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए उक्त खेतों में से होकर गुजरना पड़ता है और अन्य विकल्प रास्ता नहीं है। विप्रार्थी संख्या 01 द्वारा मौका रिर्पोट पर आपति पेश की गई कि तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त रिपौर्ट के विपरीत निकटतम रूप से सलंग्न परिशिष्ट–(क) के अनुसार प्रार्थी के खेत से लगते हुए ग्राम मानपुरा के खसरा संख्या 1019 जो कि सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है, जो प्रदर्श अ से ब तक है। विप्रार्थी सं. 12,14,15, 18 से 21 के वकील की ओर से भी अपनी ओर से जवाब के तथ्यों में प्रार्थी के आवेदन पत्र को स्वीकर करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थीगण के साथ–साथ विप्रार्थीगण खसरा संख्या 740/2 के खातेदारान को भी रास्ते की अधिक महत्ता है, ओर रास्ते के रूप में प्रस्तावित भूमि को रास्ते के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने हेतु विप्रार्थीगण बिना प्रतिफल के भूमि रकबा राज दिये जाने हेतु पूर्णरूप से आश्वस्त एवं सहमत है। ऐसी स्थिति में जब रास्ते की महत्ती आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए प्रार्थीगण के प्रस्तुत इस्तदुआ ओर तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त मौका रिपोर्ट व प्रदर्शित भू–भाग को रास्ते के रूप में राजस्व रेकर्ड में अंकन किया जाता है तो प्रार्थीगण के साथ–साथ विप्रार्थीगण (खसरा संख्या 740/2) भी जुड़ सकेगें। ऐसी स्थिति में बिना प्रतिफल के विप्रार्थी द्वारा अपने हिस्से की भूमि को भी कटाण मार्ग में सम्मिलित करते हुए तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किये जाने की दलील के सन्दर्भ में

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:19:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

तहसीलदार सिणधरी से मौका जांच रिपोर्ट का परस्पर अवलोकन एवं मिलान किया गया। प्रार्थी की इस्तदुआ के सन्दर्भ में निकटगत रूप से खसरा संख्या 1019 मौजा मानपुरा से लगती हुई सीमा पर भूमि उपलब्ध है, परन्तु जहां तक विप्रार्थी (खसरा संख्या 740/2) द्वारा अपनी खातेदारी खेत में होकर गुजरने वाले कदीमी रास्ते के रूप में निःशुल्क कटाण करवाने की सहमति को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट के सलंग्न प्रस्तावित भूमि उपयोगी एवं सार्थकता को प्रमाणित करती है, जिससे कि प्रार्थीगण के साथ–साथ विप्रार्थी सं. 740/2 के खातेदार भी सड़क मार्ग से निकटगत रूप से जुड़ सकते है। इस प्रकार प्रार्थीगण प्रस्तावित रास्ता प्राप्त करने के हकदार है। क्योकि 251 ए आर.टी.एक्ट की मंशा है,कि किसी काश्तकारों को अपने खेत से होकर सरकारी कटाण मार्ग तक पहुचनें के लिए यदि रास्ता उपलब्ध नहीं है,तो रास्ता दिया जाना चाहिए, परन्तु उक्त प्रकरण के मौके पर चलायमान रास्ता विकल्प के तौर पर उपलब्ध है, जो कि मौका जांच रिपोर्ट के सलंग्न प्रदर्श फोटोग्राफ से स्पष्ट है। जो हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी के लिए प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। और प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सं. 11 से 21 के लिए अंतिम विकल्प है। इस प्रकार प्रार्थी के खसरा संख्या 740/1 के साथ–साथ विप्रार्थी सं. 10 से 21 के खसरा संख्या 740/2 को सड़क मार्ग से जोड़ने हेतु रास्ते के रूप में खसरा संख्या 741 रकबा 1.1892 हैक्टयर में लम्बाई 146 मीटर लम्बाई तथा चौड़ाई 5 मीटर रकबा 0.0730 हैक्टयर का रास्ता प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर अंसिचित सड़क के पास राशि–342263/–प्रति हैक्टयर है। नियमानुसार रास्ते में प्रभावित भूमि के खातेदारान को उक्त भूमि की डी. एल.सी दर से दुगुनी राशि प्रार्थीगण से दिलवाने जाने का प्रावधान है। इस प्रकार खसरा संख्या 741 रकबा 1.1892 हैक्टयर में लम्बाई 146 मीटर लम्बाई तथा चौड़ाई 5 मीटर रकबा 0.0730 हैक्टयर का राशि–50000/–अक्षरे पचास हजार रूपयें मात्र का भुगतान किया जाना है। उपयुर्क्त विवेचन से स्पष्ट है,कि प्रार्थीगण के साथ–साथ विप्रार्थी सं. 10 से 21 को रास्ते की अपरिहार्य आवश्यकता है। और उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार उभयपक्ष रास्ता पाने के हकदार है। प्रार्थीगण रास्ते की भूमि के बदले क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने हेतु सहमत है तथा विप्रार्थी सं. 10 से 21 बि[illegible] के खसरा संख्या 740/2 में प्रस्तावित भू–भाग रास्ते के रूप में राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करवाये जाने हेतु सहमत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:19:17 IST
Reason: SelfAttested

7.लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन पत्र विप्रार्थी सं. 12,14,15,18 से 21 का जवाब स्वीकार किया जाकर ग्राम भाटा तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 741 रकबा 1.1892 हैक्टयर में लम्बाई 146 मीटर लम्बाई तथा चौड़ाई 5 मीटर रकबा 0.0730 हैक्टयर भूमि

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

मौका रिपोर्ट के सलंग्न दर्शित नक्शे में बरंग लाल ——दरसाये परिक्षेत्र अनुसार रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्राथीगर्ण द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 से 09 को क्षतिपूर्ति राशि–50000/–अक्षरे पचास हजार रूपयें मात्र तहसील कार्यालय सिणधरी मे संधारित जी.ए.55 रसीद के जरिये राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार सिणधरी को उपरोक्तानुसार में प्रस्तावित रकबानुसार का रास्ते में जाने वाली भूमि का राजकीय खाते मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिणधरी के पत्र कमांकःभू.अ./वाद/2024/2865 दिनांक 29.10.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के सलंग्न नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(जगदीशसिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 28.03.20205 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:19:17 IST
Reason: SelfAttested